

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इबतदाई
(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ठेडी
व अलजाम श्रीमति रेणू मीणा (आर ए एस)

1. जगुदान उम्र 50 वर्ष पुत्र मेहताबदान जाति चारण निवासी ढाणी लावण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
 2. हिंगलाज दान उम्र 45 वर्ष पुत्र मेहताबदान जाति चारण निवासी ढाणी लावण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
 3. समदरदान उम्र 36 वर्ष पुत्र मेहताबदान जाति चारण निवासी ढाणी लावण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
-वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार जी, रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0 प्रतिनिधि लैड होल्डर राज्य सरकार।
-प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा एवं राजस्व रिकोर्ड में संशोधन अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकद्दमा नम्बर - 16/16 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी संख्या 02 एवं मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा एवं राजस्व रिकोर्ड में संशोधन अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निजीX..... मुबलिकX..... बाबत X
खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगेरह X फीसदी सालाना आज की
तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21.05.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	00.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर					